



न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डन अवालियर स्थान अवालियर म. प्र.।

प्र. क्र. / निग./2014-15, निग. (3244/ज/15)

1. दुर्जन लोधी तनय स्व. तिजवा लोधी तनय स्व. पजना लोधी
निवासी ग्राम बसारी सर्किल बसारी पूर्व तहसील उत्तरपुर

क्षेत्रीय निगरानी काले शर्णूल द्वाल तहसील राजनगर जिला- उत्तरपुर म. प्र.। -----आवेदकम्
या आज दि ५/१०/१५ को

सुनु

बनाम

क्षेत्रीय निगरानी काले शर्णूल, शिवनाथ ठोळी पिस. स्व. मकुन्दा अहिरवार
राजस्व मण्डन भाग. अवालियर

2. रामप्रसाद ठोळी॥

3. रामप्यारी || पुत्री गण स्व. मकुन्दा अहिरवार

4. रज्जनवाई,

5. प्रेमवाई,

6. मन्थी बेबा स्व. मकुन्दा अहिरवार,

7. जगदीश तनय बृजलाल अहिरवार,

8. भगतजी तनय बृजलाल अहिरवार, समस्त निवासी

ग्राम बसारी तह. राजनगर जिला- उत्तरपुर म. प्र.।

9. मध्य प्रदेश शासन।

-----आवेदकगण

स्व. प्रेरणा निगरानी अन्तर्गत धारा 50
म. प्र. ध. रा. संहिता 1959 के तहत।

निगरानी विरुद्ध निर्णय बोग्य अधीनस्थ
न्यायालय श्री मान् नाथ तहसीलदार,
देव बसारी तह. उत्तरपुर द्वाल तह. राजनगर
के रा. प्र. क्र. 4/346/1977-78 में पारित
अ. दि. 28-2-1979 से विवेष दुखी होकर।

महोदय,

आवेदक श्री मान् के समझ सादर निम्न लिखित तथ्यों स्व. अधारों

पर किम्न निगरानी प्रस्तुत करताहैं :-

1:- यह कि भूमि स्थित मौजा बसारी द्वाल तहसील राजनगर जिला-
उत्तरपुर की भूमि नं. 1399, 1400, रक्वाकृमाः 0. 429, 0. 930 है. एकड़ रक्वा

—2—
न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3244-दो/2015

जिला छतरपुर

दुर्जन विरुद्ध शिवनाथ व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
स्थान तथा दिनांक 15-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार छतरपुर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 4/अ46/1977-78 में पारित आदेश दिनांक 28-02-1979 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आरक्षण जैन) सदस्य</p> <p>15.3.19</p>